

संचिका संख्या-15/डी1-10/11.....

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

कुल सचिव
राज्य के सभी विश्वविद्यालय

पटना, दिनांक 2014

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या-516/2013 में पारित न्यायादेश तथा इससे उदभूत अवमाननावाद संख्या-262/13 बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ बनाम अशोक कुमार सिन्हा में विभिन्न तिथियों को पारित न्यायादेशों के अनुपालन की बाध्यता के मद्देनजर विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के पुस्तकालय सहायक, शौर्टर, पत्राचार लिपिक एवं दिनचर्या लिपिक के स्वीकृत पदों पर विधिवत् रूप से नियुक्त होकर नियमित रूप से कार्यरत कर्मियों को ₹4000-6000/- का वेतनमान दिनांक 01.04.1997 के प्रभाव से स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महाशय,

बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के साथ दिनांक 17.07.2007 के समझौता वार्ता के कॉडिका-7 में अंकित किया गया है कि "पुस्तकालय सहायक, शौर्टर, पत्राचार लिपिक एवं दिनचर्या लिपिक को ₹4000-6000 का वेतनमान विभागीय स्तर पर लागू किया जाय"। उक्त समझौता के क्रम में उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-516/2013 में दिनांक 18.01.2013 को पारित न्यायादेश तथा इसके अनुपालन नहीं होने की स्थिति में दायर अवमाननावाद में विभिन्न तिथियों को पारित न्यायादेशों के अनुपालन की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों तथा इसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में पुस्तकालय सहायक, शौर्टर, पत्राचार लिपिक तथा दिनचर्या लिपिक के मूल स्वीकृत पदों पर विधिवत् रूप से नियुक्त एवं नियमित रूप से कार्यरत कर्मियों को जिन्हें उक्त मौलिक पदों के लिए विहित योग्यता प्राप्त हो एवं जिनकी सेवा में किसी प्रकार की टूट नहीं हो, के लिए दिनांक 01.04.1997 के प्रभाव से ₹4000-6000/- का वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

2. चूँकि उपर्युक्त आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेशों के अनुपालन में विशेष परिस्थिति में निर्गत किया जा रहा है अतः यह निर्णय किसी भी स्थिति एवं परिस्थिति में किसी अन्य मामले के लिए द्रष्टान्त के योग्य नहीं होगा।

3. वर्णित निर्णयों के अधीन इस वेतन पुनरीक्षण के आधार पर अनुमान्य अन्तर वेतन की राशि का वास्तविक भुगतान किये जाने के पूर्व इससे संबंधित कर्मियों के सभी प्रमाणिक कागजात/अभिलेख की जाँच वेतन निर्धारण

कोषांग के द्वारा सुनिश्चित रूप से करा लिया जाय ताकि उसके आधार पर अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सके।

4. इस क्रम में विभागीय संकल्प संख्या-1972 दिनांक 12.10.2004 को इस हद तक संशोधित समझा जायगा परन्तु इसमें अंकित अन्य निर्धारित शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(सुनील कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक 20/6/2014

ज्ञापांक:- 15/डी1-10/2011-1163

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/ विशेष सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ निदेशक, उच्च शिक्षा/ सम्पर्क पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/ उच्च शिक्षा निदेशालय के सभी पदाधिकारी/ महामंत्री, बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ/ अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ/ संबंधित सभी संघ के अध्यक्ष / प्रशाखा पदाधिकारी-14/15 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

22
19/6